न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 264 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 421

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.खेवरचंद पुत्र फुसाराम		1.तहसीलदार पचपदरा
2.रामेश्वर उर्फ चन्द्राराम पुत्र फुसाराम		2.गोविन्दराम पुत्र गोकूल
3.गणपतलाल पुत्र फुसाराम		जाति माली
4.अशोक पुत्र फुसाराम		निवासी संतो की बाड़ी वार्ड संख्या 33
5.प्रहलाद पुत्र फुसाराम		बालोतरा जिला बालोतरा
जाति माली		3.जोधपुर विधुत वितरण निगम लि.जरिए
निवासी संतो की बाड़ी वार्ड संख्या		सहायक अभियंता खण्ड बालोतरा
33 बालोतरा जिला बालोतरा		4.नगर परिषद बालोतरा जरिए आयुक्त

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

<u>उपस्थिति–</u>

1.श्री शंम्भूसिंह राजपूत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 03

3.श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 04

4. श्री प्रियतम आजाद अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

5.विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक– 16.12.2024

1.संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कर विवादित भूमि ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 571 रकबा 4.15 बीधा भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 02 के पिता फूसा उर्फ पूसा तथा उनके बाद प्रार्थीगण का विगत 48 वर्षो से काबिज होकर आ रहे है तथा प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर शान्तिपूर्वक कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के काबिज के आधार पर हर वर्ष हल्का पटवारी द्वारा खसरा परिर्वतनशील भरी गई। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज करवाने का राजस्व विभाग को निवेदन किए जाने पर भी खातेदारी दर्ज नही की गई। जिससे विवश होकर प्रार्थीगण द्वारा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण की कब्जाशुदा भूमि में विप्रार्थी द्वारा दखलदाजी की जा रही है। जिसका विप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध मूलवाद के निर्णय तक इस आशय का स्थगन आदेश पारित किया जावें कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का अवरोध नहीं करे और न ही प्रार्थीगण को कब्जा से विधि की प्रकिया अपनाए बिना बेदखल नहीं करे और न ही अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी/ठेकेदार इत्यादि से बेदखल की कार्यवाही नहीं करवाने बाबत आवेदन पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरीए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 03 व 4 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 02 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 02 अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश की गई थी तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस के तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थी के विरूद्ध दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं,जिसमें प्रार्थीगण को सफल होने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण व प्रिर्थी संख्या 02 के पूर्वज फूसाराम उर्फ पूसा पुत्र श्री टीला व उनके बाद उनके पुत्र प्रार्थीगण/वादीगण का खसरा संख्या 571 वाके ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा की कृषि भूमि रकबा 04 बीघा 15 वीस्वा पर पिछले करीब 48 वर्षो से काबिज काश्त करते आ रहे है,उक्त भूमि बारानी तृतीय हैं। विवादित आराजी खसरा संख्या 571 रकबा 04 बीघा 15 विस्वा वाके ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा की कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता फूसाराम व उनके दादा टीला के नाम पर हल्का पटवारी ने हर वर्ष प्रार्थीगण के कब्जा के आधार के आधार काश्त करने के कारण उनके नाम पर खसरा परिवर्तनशील को भरा गया। फूसाराम जी का स्वर्गवास दिनांक 10.01.2006 को हो चूका हैं। उक्त खसरा परिवर्तशील के आवेदन को पटवारी हल्का बालोतरा द्वारा तहसील पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहा,जिससे यह रिकार्डड बखूबी साबित है कि प्रार्थीगण का उक्त भूमि खसरा संख्या 571 रकबा 04 बीघा 15 विस्वा वाक ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा पर निरन्तर व निर्बाध व शांति पूर्वक कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण को उक्त खसरा की भूमि के खातेदारी अधिकार कानून 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा अधिक समय से कब्जा काश्त होने से राजस्व कानून के तहत प्राप्त हैं,जो अब अपने उक्त कब्जाशुदा खसरा संख्या 571 रकबा 04 बीघा 15 विस्वा भूमि ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा की खातेदारी अधिकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

की घोषणा करवाने उनको राजस्व कानून के तहत अधिकार प्राप्त हो चुके है। विप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या तीन ने अपने जवाब में यह तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष उजागर किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 571 रकबा 04 बीघा 15 विस्वा भूमि बाबत् प्रतिवादी संख्या 02 गोविन्दराम द्वारा नगर परिषद व हम विप्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध श्री वरिष्ठ सिविल न्यायालय में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद मु.सं. 11/2024 गोविन्दराम बनाम नगर परिषद का प्रस्तुत किया है,जिसमें न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश पारित किए,जिससे सभी पक्षकारान पाबंद है। प्रार्थीगण कम पढे लिखे ग्रामीण अंचल के व्यक्ति है,इसलिए विप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना आवश्यक है। विवादित आराजी पर मौके जोधपुर विधुत वितरण निगम के कर्मचारीयों ने बिजली के पोल डालने का प्रयासरत है,जिसके लिए वह मौके पर आये और ऐलानिया कहां कि हम तो यहां पर बिजली के पोल डाल कर कार्य करेगें। जब कि प्रकरण में मोजूदा भूमि के संबंध में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय संख्या 01 बालोतरा द्वारा प्रकरणर संख्या 10/2024 के माध्यम से दिनांक 03.04.2024 के अनवान गोविन्दराम बनाम नगर परिषद बालोतरा में वादग्रस्त भूमि के संबंध में उक्त सिविल वाद के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्ष को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किए जा चुके है। जिससे विप्रार्थीगण पाबंद है,न्यायालय के आदेश के उपरांत भी हटधर्मी से बिजली विभाग विप्रार्थी पोल खड़े करने पर आमदा है,यदि विधुत वितरण निगत द्वारा या नगर परिषद द्वारा अपने प्रयास में सफलता बावजूद सिविल न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के अपने मकसद में कामयाब हो जाता है,तो वादी/प्रार्थी को भारी क्षति कारित होगी एवं प्रार्थी/वादी के कब्जा में अनुचित रूप से न्यायालय में प्रकरणों के लंबित रहने के दौरान हस्तक्षेप किया जा रहा है,जो रोका जाना न्यायोचित हैं। अंत में निवेदन किया कि ताफैसल मूलवाद वादीगण/प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 571 रकबा 04 बीघा 15 विस्वा ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा पटवार क्षेत्र बालोतरा में काश्त में किसी प्रकार का अवरोध विप्रार्थीगण द्वारा स्वंय नहीं करे और नहीं प्रार्थीगण को कब्जा से अपने अधिनस्थ किसी कर्मचारी/ठेकेदार आदी से करावे व न ही ऐसा मानचित्र तैयार करे जिससे प्रार्थीगण को कोई क्षति कारित हो,प्रार्थी की चारदिवारी को क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करे,इस आशंय का स्थगन आदेश विप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किया जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थी के विरूद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है। क्योकि बालोतरा के खसरा संख्या 571 रकबा 04.15 बीघा भूमि का मालिकाना हक प्रार्थी अथवा उनके पिता फुसाजी का कभी भी कब्जा काश्त 50 सालो से नहीं रहा। विवादित आराजी का स्वामित्व प्रार्थी का नहीं था व न हैं। जिससे प्रार्थीगण का वाद चलने योग्य नहीं हैं। उक्त भूमि का स्वामित्व मालिकाना हक नगरपरिषद, बालोतरा का था व हैं। जिससे भी विवादित आराजी की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं हैं न ही निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसी विवादित खसरा संख्या 571 रकबा 04.15 बीघा भूमि बाबत् का विप्रार्थी संख्या 02 गोविन्दराम बनाम नगरपरिषद का प्रस्तुत किया

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

है,जो भी चलने योग्य नहीं है एवं गोविन्दराम द्वारा किये गये दावा के बाद प्रार्थी घेवरचंद द्वारा न्यायालय श्री में राजस्व वाद गलत पेश किया गया। जबकि उक्त भूमि राजस्व भूमि के रूप में स्थित है। नगरपरिषद की आबादी भूमि में आ चुका है,नगरपरिषद के स्वामित्व की हैं। प्रार्थीगण अथवा विप्रार्थी संख्या 02 गोविन्दराम का कभी भी राजस्व रेकर्ड में खातेदारी का नाम दर्ज नहीं था,न ही कब्जा था एवं आबादी भूमि आने से नगरपालिका के स्वामित्व की होने से उक्त प्रकरण न्यायालय श्री मे क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है,जिससे प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है। कि खसरा संख्या 571 रकबा 4.15 बीघा भूमि नगरपरिषद, बालोतरा की स्वामित्व की अवश्य हैं। इस विवादित भूमि पर गोकलजी व फूसाजी का कभी भी मालिकाना हक नहीं रहा एवं पूर्व में भी प्रार्थी व गोकलजी व फूसाजी द्वारा राजस्व न्यायालय में मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत नहीं किया है व न ही उनकी कभी भी जमाबंन्दी में नाम रहा। बल्कि जमाबंन्दी आबादी भूमि नगरपरिषद की करीब 20–30 सालो से चल रही हैं। प्रार्थीगण का यह कहना भी गलत है कि 50 वर्षो से उसका कब्जा चला आ रहा हो,वादग्रस्त भूमि खुली भूमि हैं एवं प्रार्थी का कोई निर्माण आदि नहीं है। कि नगरपरिषद, बालोतरा ने विधुत स्टेशन के खसरा संख्या 571 की भूमि जो पूर्व में आंवटित की गई थी,उसको निरस्त कर दिनांक 21.02.2024 को नक्शानुसार 01 बीघा भूमि की राशि समायोजन कर स्वीकृत कर आंवटित की गई व नक्शा संशोधित किया गया एवं दिनांक 27.03.2024 को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं हैं। उक्त राजस्व भूमि गोकुलजी व फूसाजी व उनके उत्तराधिकारी घेवरचंन्द वगैरा की कभी नहीं थी व न हैं। प्रार्थी का यह कहना भी गलत हैं कि राजनैतिक के दवाब में आकर कोई कार्यवाही की गई हो बल्कि राजस्थान सरकार के नियमानुसार आंवटित किया गया हैं। वादग्रस्त भूमि ए बी सी डी भूमि प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि नहीं हैं। विप्रार्थी का जो भूमि आंवटित की गई उसको निरीक्षण करने हेतु दिनाक 10.03.2024 को विप्रार्थी के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया व नियमानुसार कब्जा बनाया गया,जो बालोतरा की जनता का विधुत सप्लाई के हित में देखते हुए विवादित स्थान पर 33/11 के.वी. विधुत सब–स्टेशन बनेगा,यदि न्यायालय द्वारा इसको रोका गया तो विप्रार्थी एवं बालोतरा की जनता को भारी नुकसान होगा,जिसकी नकदी में नहीं आंका जा सकता एवं विधुत सप्लाई बालोतरा शहर की बाधित होगी। जिससे प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया काबिल डिक्री के नहीं हैं व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं इस प्रकार प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही बनकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 04 अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है,क्योकि खसरा संख्या 571 का मालिकाना हक प्रार्थी अथवा उनके पिता फूसाजी का कभी भी कब्जा काश्त 50 सालो से नहीं रहा। विवादित आराजी स्वामित्व संपूर्ण हक नगरपरिषद बालोतरा का था व हैं। जिससे भी प्रार्थीगण/वादीगण विवादित आराजी की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं हैं, न ही निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 571 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा भूमि नगरपरिषद बालोतरा के स्वामित्व की हैं और उस पर सदैव नगरपरिषद बालोतरा का कब्जा रहा हैं। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 02 का कभी भी उक्त खसरा की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वज गोकलजी व फूसा जी की ओर से कभी राजस्व न्यायालय में मालिकाना हक प्राप्त किये जाने हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत नहीं किया हैं। जमाबंदी नगर परिषद बालोतरा के नाम दर्ज हैं। विवादित आराजी का कब्जा हक नगर परिषद बालोतरा व राजस्थान सरकार का था व हैं। विवादित आराजी नगर परिषद की हैं एवं प्रार्थीगण का उस पर कोई निर्माण कब्जा आदि नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं व न ही कभी रहा हैं। विवादित आराजी नगर परिषद की भूमि हैं तथा नगर परिषद का ही कब्जा हैं। जो वर्तमान में कुछ भूमि चिन्हीत कर प्रतिवादी संख्या 03 विद्युत विभाग को कब्जा दिया जा चुका हैं। वादीगण स्वंय यह स्वीकार करते है कि उनके पूर्वजो द्वारा खातेदारी अधिकार दिलाने का निवेदन किया था,लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे भी यह पता चलता है कि उक्त भूमि नगर परिषद की रही हैं तथा प्रार्थीगण का पिछले करीब 20 सालो से उक्त भूमि नगर परिषद की होने का पता था तथा उनके द्वारा अपने पिता की फौतगी के पश्चात स्वंय के बालिग होने के उपरांत उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं जिससे वादी का वाद मयाद बाहर होने से यह प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार इस सरकारी भूमि पर प्राप्त नहीं हैं व न ही कभी रहे है। प्रार्थीगण शहरी व्यक्ति हैं तथा पढे लिखे हैं जो उनके वाद पत्र पर हस्ताक्षर से स्वतः साबित हैं। प्रार्थीगण को उक्त भूमि सरकारी नगर परिषद के नाम से होने की जानकारी रही है,लेकिन वर्तमान में बालोतरा जिला बनने के कारण भूमि के भावों में जबरदस्त तेजी आ जाने से सरकारी भूमि को हड़प करने की नियत से यह गलत वाद व प्रार्थना पेश किया है,जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं हैं। विवादित आराजी में मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023–2024 के अन्तर्गत बालोतरा शहर के शन–छतरी 33/11 के.वी. विधुत सब–स्टेशन की घोषणा की गई व जिसमें अधिशाषी अभियंता, जोधपुर विधुत विधुत वितरण निगम लिमिटेड बालोतरा को भूमि आंवटन किये जाने की कार्यवाही दिनांक 04.04.2023 को की गई दिनांक 04.05.2023 को 2529.88 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर 1287 प्रति वर्गमीटर की 50 प्रतिशत की दर पर आंवटित किये जाने की मांग की गई,जिस पर राशि रू 15,52.081/–जमा करवाने की मांग पर समायोजन करने की कार्यवाही की गई,जिसमें कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 571 की भूमि में से दिनांक 27.03.2024 को कब्जा सुपुर्द किया गया। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं हैं। उक्त भूमि सरकारी भूमि हैं,जिस पर नगर परिषद बालोतरा का निर्बाध कब्जा रहा हैं। नगर परिषद द्वारा बालोतरा शहरवासियों को विधुत सुविधा बाधित नहीं हो के कारण राज्य सरकार की बजट घोषणा अन्तर्गत प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में उक्त भूमि में से 33/11 केवी विधुत सब स्टेशन के निर्माण हेतु विधुत विभाग को आंवटित कर कब्जा नगर परिषद तथा राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए सुपुर्द किया गया हैं। प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा ही नहीं हैं व न कभी रहा हैं। जिससे प्रार्थीगण ने कब्जा से बेदखल कर देने के कथन गलत दर्ज कराये हेतु सुविधा का संतुलन किसी भी प्रकार से

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा न ही प्रार्थीगण कोई अनुतोष अस्थायी निषेधाज्ञा को पाने का अधिकारी है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण मय खर्चा खारिज किया जावें।

6.हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 571 रकबा 4.15 बीघा भूमि के संबध में प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्व मूलवाद के निर्णय तक स्थगन आदेश जारी करने का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक जारी करने योग्य है अथवा नहीं। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

7.(1)सर्वप्रथम प्रथम द्रष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है,के संबध में विवेचन किया जा रहा है.जिसमें पाया कि मूलवाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर ग्राम बालोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 571 रकबा 4.15 बीघा भूमि खातेदारी घोषणा करवानें एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का मुख्य अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा कि प्रार्थीगण/वादीगण वांछित अनुतोष प्राप्त करना का हकदार है अथवा नहीं। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वर्तमान रिकॉर्ड मुताबिक नगर पालिका बालोतरा के खाते में दर्ज है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है,क्योकि रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पांबद किए जाने का प्रथम द्रष्यता मामला बनता ही नहीं है तथा स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने से विप्रार्थी को क्षति होगी। लेकिन हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है,क्योकि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है,जिससे साबित हो कि प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हो। इसके विपरीत विप्रार्थी द्वारा साबित किया है कि विवादित आराजी उनके खाता में दर्ज है तथा स्थगन आदेश से विप्रार्थी को क्षति होगी। ऐसी सूरत में प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनती है। प्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी के संबध में खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त संवत 2034 की प्रति एंव खसरा गिरदावरी संवत 2066-2069 व 2070-2073 के कालॅम संख्या 16 में अकृषि धेवरचंद वगैरा गोविद वगैरा इन्द्राज प्रतिलिपि पेश की गई। इससे साबित नहीं होता है कि प्रार्थीगण का विवादित आराजी में हक हकूक निहित हो। इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 04 यह साबित करने में सफल रहा है कि विवादित आराजी उनके खाता में अवस्थित है। इस प्रकार रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायालय हाजा उचित नहीं समझता है। प्रार्थी पक्ष द्वारा अपनी बहस में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी के संबध में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय में प्रकरण चल रहा है,जिसमें विवादित आराजी पर स्थगन आदेश भी पारित किया गया है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

का कोई सारभूत तथ्य निहित नही है। ऐसी परिस्थिति में हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण प्रथम द्रष्यता मामला अपने पक्ष में साबित करने में सफल नहीं हुए है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है।

7(ii).इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता नही है,क्योंकि विवादित आराजी विप्रार्थी संख्या 04 के खाते मे दर्ज है और रिकार्डड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है। खातेदार अपने हक हकूक हिस्सा का उपयोग–उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय हाजा खातेदार को उसके हक हकूको से महरूम नहीं रख सकता है। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि धारा 212 R.T.ACT प्रकरण में यह देखना है,कि मामला स्थगन आदेश का बनता है अथवा नही,जो कि हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करने का मामला बनता नहीं हैं। इस संबध में आर.आर.टी.1978 पृष्ठ 377 सुकी खां बनाम मोहनसिंह वगैरा में प्रतिवादित है:–कि धारा 212 अधिकार अथवा स्वामित्व का निर्णय नहीं करना चाहिए,यदि धारा 212 के आधार तत्व न हो तो अस्थाई निषेधाज्ञा अनुचित है,जो कि हस्तगत प्रकरण पर चस्पा है,क्योंकि प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करने का ऐसा कोई ठोस आधार बनता हीं नहीं हैं। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

7(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि प्रथम द्रष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन विप्रार्थी अपने पक्ष में सावित करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश जारी होने के कारण अपूरणीय क्षति भी विप्रार्थी संख्या 3 व 4 को होगी। इस प्रकार विप्रार्थी संख्या 04 जो विवादित आराजी उनकी खाते में दर्ज है और उन्हें स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है,क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत है और हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने पर अपूरणीय क्षति विप्रार्थी संख्या 3 व 4 को होगी। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण स्थगन आदेश जारी करवाने के हकदार नहीं है।

8.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में बनते है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

:आदेश:

9.उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार) 16/12/24

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.12.24 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

16/12/24

सहायक कलक्टर

(S.D.O.) बालोतरा